श्री अजय कुमार सिंह, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या 01/212/334 से उद्भूत आश्वासन संख्या 01/26 का अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन।

प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन
(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2008 की कुसहा त्रासदी में सुपौल जिले के प्रतापगंज, बसंतपुर, छातापुर, त्रिवेणीगंज आदि प्रखंडों में भारी तबाही हुई है और इस क्षेत्र के अधिकांश नहर क्षतिग्रस्त हो गए, (ख) क्या यह सही है कि प्रतापगंज प्रखंड के गोविन्दपुर स्थित कुल छः शाखा नहर (BC) क्षतिग्रस्त होने से बंद है शाखा नहर के बंद होने से लगभग 1100 एकड. भूमि की सिंचाई बाधित हुई है, (ग) यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त शाखा नहरों को पुनः स्थापित कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2008 में कोशी नदी में आई बाढ़ एवं कुसहा टुटान के कारण कोशी मुख्य नहर एवं वितरण प्रणालियॉ क्षतिग्रस्त हो गयी थी। पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन का कार्य ई0आर0एम0 योजना के तहत कराकर सिंचाई सुविधा बहाल किया गया है। सुपौल जिलान्तर्गत प्रतापगंज प्रखंड के गोविन्दपुर पंचायत से होकर छः शाखा नहर नहीं बल्कि मुरलीगंज शाखा नहर एवं पनसाही उपवितरणी गुजरती है। जिससे सुचारू रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। खरीफ सिंचाई 2025 में मुरलीगंज शाखा नहर में रूपांकित जलश्राव 1590 क्यूसेक के विरूद्ध 1100 क्यूसेक तथा पनसाही उपवितरणी में रूपांकित जलश्राव 68 क्यूसेक के विरूद्ध 40 क्यूसेक जलश्राव प्रवाहित किया गया है। प्रतापगंज प्रखंड के गोविन्दपुर पंचायत से होकर मुरलीगंज शाखा नहर के कि0मी0 7.32, कि0मी0 8.23 एवं कि0मी0 8.54 से निकलने वाली जलवाहा, पनसाही उपवितरणी के कि0मी0 0.61 एवं कि0मी0 1. 23 से निकलने वाली जलवाहा तथा श्रीपुर लघुनहर आदि नहरों जिसकी क्षमता 20 क्यूसेक या इससे कम है, के पुनर्स्थापन/जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा से कराये जाने की योजना है। डा. अजय कुमार सिंहः महोदय, उत्तर आ गया है। ये सुपौल जिले के गोविन्दपुर पंचायत से गुजरने वाली ब्रांच नहर के बारे में है। उत्तर में विभाग ने माना है कि मुरलीगंज शाखा नहर के किलोमीटर 7.32 किलोमीटर, 8.23 किलोमीटर एवं 8.54 किलोमीटर से निकलने वाली जलवाहा पनसाही वितरणी के किलोमीटर 0.61 एवं किलोमीटर 1.23 से निकलने वाली जलवाहा तथा श्रीपुर लघु नहर आदि नहरो जिसकी क्षमता 20 क्यूसेक या इससे कम है का पुनर्स्थापन जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा से कराये जाने की बात है। माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि मनरेगा का तो नाम ही बदल गया है जी राम जी हो गया है और इसमें केन्द्र और राज्य के कंट्रिब्यूशन से इस योजना को होना है तो इसमें हमें लगता है कि वहां के किसानों के साथ बड़ा अन्याय होगा। अगर विभागीय योजना से करा लिया जाता तो प्रतापगंज और सुपौल के लोगों के लिए बड़ी कृपा होती । मनरेगा के चक्कर में नहीं हो पायेगा। ये 2008 से बाधित है। कुसहा कब	सुपौल जिलान्तर्गत प्रतापगंज प्रखंड के गोविन्दपुर पंचायत से होकर मुरलीगंज शाखा नहर के कि0मी0 7.32, कि0मी0 8.23 एवं कि0मी0 8.54 से निकलने वाली जलवाहा, पनसाही उपवितरणी के कि0मी0 0.61 एवं कि0मी0 1.23 से निकलने वाली जलवाहा तथा श्रीपुर लघुनहर में सिल्ट जमा होने एवं जंगल–झाड़ हो जाने से नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। शीर्ष 2700 अंतर्गत नहर के रख–रखाव/सम्पोषण के तहत उपरोक्त जलवाहा तथा लघुनहर के पुनर्स्थापन कार्य की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे वित्तीय वर्ष 2026–27 में करा लिया जायेगा।

प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन
	की आई और उसके बाद से ही वहां के नहरो में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको कराया जाय । श्री विजय कुमार चौधरी (मंत्री) : महोदय, हमने स्पष्ट उत्तर में कहा है और उत्तर के कंटेंट में विस्तृत जानकारी दी गई थी वह सिर्फ इस संदर्भ में थी कि आपने जो कहा है कि 6 ब्रांच कैनाल इसमें है जिसें मिट्टी जमा है। वह ब्रांच कैनाल दो ही है। उसमें 6 जो आप कह रहे हैं वह जलवाहा है, छोटी छोटी जो अलग अलग जाता है उसमें वह है। आपका उसमें सही है कि उसमें पुनर्स्थापन कराया गया था जो 2008 के बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं उसके बाद उसका पुनर्स्थापन कराया गया था लेकिन ये अनवरत प्रक्रिया चलती है। एक बार पुनर्स्थापन के बाद फिर सिंचाई की जाती है किसी जलवाहा से या ब्रांच कैनाल से तो उसमें फिर गाद जमा होता है फिर उसका साफ सफाई कराया जाता है लेकिन आपका सही है। अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे।	

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सह0)–12–01 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 212वें सत्र में उनके ज्ञापांक–494(6) दिनांक–10.04.2026 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–01 / 212 / 334 से उदभूत आश्वासन सं0–01 / 26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सह0)–12–01 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सह0)–12–01 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(सह0)–12–01 / 2026– 4437 पटना, दिनांक– 06/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव
06.10.26